कार्यालय :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail :- pccf-development@gov.in, Phone No. 0651-2481813

पत्रांक : 01/यो0ब0–53/2016– 166 दिनांक : 14/2/19

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
सामाजिक वानिकी, योजना, अनुश्रवण एवं
मूल्यांकन प्रमण्डल, राँची

विषय :– वित्तीय वर्ष 2018–19 में कार्यान्वित की जाने वाली "झारखण्ड राज्य जलवायु परिवर्तन कार्यान्वयन इकाई" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत **रू0 59.000 (उनसठ लाख रूपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:– विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0बजट–63/2016–52/स्वी0 व0प0 दिनांक 31.01.2019 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट–63/2016–106/आ0 व0प0 दिनांक 05.02.2019।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष–2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–01 वानिकी, लघु शीर्ष–101 वन संरक्षण, विकास तथा सम्पोषण, उप शीर्ष–56 झारखण्ड राज्य जलवायु परिवर्तन कार्यान्वयन इकाई योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में स्वीकृत एवं आवंटित राशि के अधीन कुल **59.000 (उनसठ लाख रूपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601101560103	12.000
कार्यालय व्यय	19S240601101560315	15.000
मशीन एवं उपकरण	19S240601101560317	24.000
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601101560323	8.000
कुल :–		**59.000**

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी, योजना, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रमण्डल, राँची** होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने कार्यालय के कार्यो के लिए उत्तरदायी होंगे एवं इस कार्यालय को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य **अनुलग्नक–1** तथा ऑन–लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक–2** पर द्रष्टव्य है। योजना का कार्यान्वयन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा, झारखण्ड, राँची के देख–रेख में सम्पन्न कराया जायेगा।

3. इस योजना का कोड संख्या– 19S240601101560103, 19S240601101560315, 19S240601101560317 तथा 19S240601101560323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड होंगे। नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनान्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जाएगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा द्वारा योजना के कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन की एक प्रति इस कार्यालय को अभिलेख हेतु प्रेषित करेंगे।

5. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या 940 दिनांक 16.03.20192 एवं क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार या GeM के द्वारा की जाएगी।

6. योजना के कार्यान्वयन से पूर्व इनके प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाएगी।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।

8. मजदूरी का भुगतान श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जाएगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जाएगा।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से ही किया जाएगा।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

11. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा, झारखण्ड, राँची के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में उनके लिए वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

12. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसके लिए दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

13. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में किया जाएगा।

14. परियोजना के कार्यान्वयन में अनुदानित राशि का व्यय ससंगत वित्त नियमावली के आलोक में वास्तविकता के आधार पर किया जायेगा, जो स्वीकृत राशि के अंतर्गत होगी तथा राशि का विचलन किसी अन्य कार्य में नहीं किया जायेगा एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र समर्पित करना होगा।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01 / यो0व0–53 / 2016–** 166 दिनांक– 14/2/19

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा, झारखण्ड, राँची / इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01 / यो0व0–53 / 2016–** 166 दिनांक– 14/2/19

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक–1

वित्तीय वर्ष 2018–19 में कार्यान्वित की जाने वाली ''झारखण्ड राज्य जलवायु परिवर्तन कार्यान्वयन इकाई'' योजना अन्तर्गत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र0 सं0	कार्य विवरणी	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	प्राथमिक ईकाई				
				मजदूरी	आपूर्ति एवं सामाग्री	कार्यालय व्यय	मशीन उपकरण	कुल
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix
1	प्रोजेक्ट मोनीटरिंग यूनिट की स्थापना (विषय विशेषज्ञ–5, IT विशेषज्ञ–1, कम्प्यूटर ऑपरेटर–2, आदेशपाल–4)	1	12.000	12.000	-	-	-	**12.000**
2	सेमिनार / कार्यशालाओं का आयोजन	-	4.000	-	4.000	-	-	**4.000**
3	लैपटाप	5	3.750	-	-	-	3.750	**3.750**
4	डेस्कटॉप कम्प्यूटर	4	3.000	-	-	-	3.000	**3.000**
5	फोटो कॉपी मशीन (HD)	1	2.500	-	-	-	2.500	**2.500**
6	एल0 ई0 डी0 स्क्रीन	2	3.000	-	-	-	3.000	**3.000**
7	वातानुकूलित मशीन	3	2.000	-	-	-	2.000	**2.000**
8	प्रोजेक्टर व स्क्रीन	2	2.000	-	-	-	2.000	**2.000**
9	जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन	-	2.000	-	2.000	-	-	**2.000**
10	कलर प्रिंटर	1	0.500	-	-	-	0.500	**0.500**
11	कार्यालय हेतु सामग्री एवं उपस्कर का क्रय	-	15.000	-	-	10.000	5.000	**15.000**
12	कार्यालय वाहनों की भाड़े पर व्यवस्था	-	5.000	-	-	5.000	-	**5.000**
13	कम्प्यूटर पेरीफेरल्स की व्यवस्था	-	2.250	-	-	-	2.250	**2.250**
14	प्रभावी सूचना एवं प्रशिक्षण सामग्री का निर्माण व प्रिंटिंग	-	2.000	-	2.000	-	-	**2.000**
		कुलः–	**59.000**	**12.000**	**8.000**	**15.000**	**24.000**	**59.000**

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वितीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-53/2016/166 दिनांक - 14-Feb-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601101560103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 56 - झारखण्ड राज्य जलवायु परिवर्तन कार्यान्वियन इकाई 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : JHARKHAND STATE CLIMATE CHANGE ACTION UNIT(1276) Centeral Scheme : NA	92552	DRNFWL080 AJAY KUMAR DFO.SF.PLAN.MONIT.EVL.DIV.RA	1,200,000.00 रुपये बारह लाख
2	S 19 240601101560315 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 56 - झारखण्ड राज्य जलवायु परिवर्तन कार्यान्वियन इकाई 03 - प्रशासनिक व्यय 15 - कार्यालय व्यय **State Scheme** State Scheme : JHARKHAND STATE CLIMATE CHANGE ACTION UNIT(1276) Centeral Scheme : NA	92554	DRNFWL080 AJAY KUMAR DFO.SF.PLAN.MONIT.EVL.DIV.RA	1,500,000.00 रुपये पंद्रह लाख
3	S 19 240601101560317 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 56 - झारखण्ड राज्य जलवायु परिवर्तन कार्यान्वियन इकाई 03 - प्रशासनिक व्यय 17 - मशीन एवं उपकरण **State Scheme** State Scheme : JHARKHAND STATE CLIMATE CHANGE ACTION UNIT(1276) Centeral Scheme : NA	92555	DRNFWL080 AJAY KUMAR DFO.SF.PLAN.MONIT.EVL.DIV.RA	2,400,000.00 रुपये चौइस लाख

योग: 5,100,000.00

क्रमिक योग: रुपये इकावन लाख

14/2

(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF.DEVELOPMENT(IFS) RANCHI / BADHARKHAND

 164.100.150.21 Run Date: 14/2/2019

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601101560323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 56 - झारखण्ड राज्य जलवायु परिवर्तन कार्यान्वयन इकाई 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme**	92557	DRNFWL080 AJAY KUMAR DFO.SF.PLAN.MONIT.EVL.DIV.RA	800,000.00 रुपये आठ लाख

State Scheme : JHARKHAND STATE CLIMATE CHANGE ACTION UNIT(1276)

Centeral Scheme : NA

योग: 800,000.00

क्रमिक योग: रुपये उनसठ लाख 5,900,000.00

(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF.DEV.(HoFF)RANCHI